



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 श्रावण 1948 (श10)
(सं० पटना 926) पटना, मंगलवार, 4 अगस्त 2026

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

4 अगस्त 2026

सं० एम-2-02/2026-48—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-67 के अनुसरण में बिहार विधान सभा उप निर्वाचन, 2026 के अवसर पर 182-बाँकीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य के नाम, उनके संबद्ध दल के साथ (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) की अधिसूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
माधव कुमार सिंह,
अपर सचिव-सह-
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

4 अगस्त 2026

सं० एम-2-02/2026-47—यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-150 की उप धारा (1) और धारा 30 और धारा 56 के अधीन निर्गत अधिसूचना के अनुसरण में बिहार राज्य की विधान सभा में 182-बाँकीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री नितिन नवीन द्वारा पद से त्यागपत्र दिये जाने के परिणाम स्वरूप हुई रिक्ति के कारण बिहार विधान सभा का 01 (एक) रिक्त स्थान को भरने प्रयोजनार्थ दिनांक 30.07.2026 को उप निर्वाचन हो चुका है।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा दिनांक 03.08.2026 को संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कर दी गई है।

अब इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-67 के अनुसरण में बिहार विधान सभा के निम्नांकित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य के नाम, उनके संबद्ध दल के साथ अधिसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	संबद्ध दल (यदि कोई हो)
1	182-बाँकीपुर	प्रशांत किशोर	जन सुराज पार्टी

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
माधव कुमार सिंह,
अपर सचिव-सह-अपर
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

Election Department

NOTIFICATION

4th August 2026

No. M-2-02/2026-47—Whereas Bye election has been held in pursuance of notification issued under sub-section (1) of section 150 and section 30 and section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) for the purpose of filling 01 (One) Vacant seat due to the seat of Shri Nitin Nabin in the Legislative Assembly of the State of Bihar, elected from 182-Bankipur Assembly Constituency in the State by reason of his resignation from the post.

Whereas, the result of the election has been declared by the returning Officer concerned under section 66 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951).

Now, therefore, in pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), name of the member elected in respect of those Constituency alongwith his party affiliation is hereby notified:-

Sl. No.	No. & Name of Assembly Constituency	Name of Elected Member	Party Affiliation (if any)
1	182-BANKIPUR	PRASHANT KISHOR	JAN SURAAJ PARTY

By order and in the name of the Governor of Bihar,
MADHAV KUMAR SINGH,
Additional Secretary-cum-
Additional Chief Electoral officer, Bihar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 926-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>